



Neutral Citation No.- 2026:AHC:17818

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या - 10956/2025

विशाल त्यागी और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता:

विवेक शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा और राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री के.के. गुप्ता को सुना गया। कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी/शिकायतकर्ता को नोटिस विधिवत तामील होने के बावजूद अपील की बहस करने के लिए प्रतिवादी/शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन्मजाति (Prevention of Atrocities) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे 'SC/ST Act' कहा गया है) की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ताओं - विशाल त्यागी और समोद कुमार उर्फ समोद कुमार त्यागी द्वारा अपील को स्वीकार करने और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), अमरोहा द्वारा S.S.T. संख्या 462/2020 (राज्य बनाम विशाल त्यागी और अन्य) में दिनांक 01.10.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो कि आई.पी.सी. की धारा 504, 506 भाग-I और SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(da) के तहत, केस अपराध संख्या 08/2020 से पुलिस स्टेशन आदमपुर जिला अमरोहा में दर्ज है।

3. दिनांक 01.10.2025 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, आरोपी विशाल त्यागी और समोद कुमार त्यागी को आई.पी.सी. की धारा 504 और 506 भाग-I के तहत दोषी ठहराया गया और SC/ST Act की धारा 3(1)(da) के तहत लगाए गए आरोप से बरी कर दिया गया। सजा सुनाने के बजाय, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया और उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष जमानत सहित या बिना जमानत के, कार्यालय द्वारा निर्धारित राशि का बांड प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया, इस शर्त के साथ कि डिफाल्ट की स्थिति में, सजा पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, Probation of Offenders Act की धारा 5 के तहत, आरोपियों को पीड़ित/शिकायतकर्ता को 25,000/- का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले का तथ्यात्मक विवरण

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (Ex. Ka-1) ग्रामोदय इंटर कॉलेज, गंगेश्वरी, जिला अमरोहा के प्रभारी प्रधानाचार्य, गवाह संख्या 1 छोटे लाल द्वारा आदमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने क्लर्क विशाल त्यागी और सहायक शिक्षक समोद कुमार त्यागी से नवंबर महीने की वेतन पर्ची दिखाने को कहा, तो उन्होंने उसे गाली दी और जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग किया। यह भी आरोप लगाया गया कि कार्यालय में मौजूद अन्य शिक्षकों ने हस्तक्षेप किया और आरोपियों को कार्यालय से बाहर ले गए। लिखित रिपोर्ट के आधार पर, आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 504 और 506 के तहत केस क्राइम संख्या 008/2020 में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान, गवाह संख्या 6, सर्किल अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 504 और 506 तथा SC/ST Act की धारा 3(1)(da) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए छह गवाहों से पूछा। गवाह संख्या 1 छोटे लाल ने बताया कि 27.11.2019 को ग्रामोदय इंटर कॉलेज गंगेश्वरी में वह प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे। उसी दिन, आरोपी विशाल त्यागी उनके कार्यालय में आया और दिसंबर महीने का वेतन बिल पास करने का अनुरोध किया। जब गवाह संख्या 1 ने उनसे पहले नवंबर 2019 का वेतन बिल दिखाने को कहा, तो आरोपी ने इनकार कर दिया। इसके बाद, आरोपी विशाल त्यागी अपने चाचा आरोपी समोद त्यागी के साथ आया और दोनों ने उसे गाली-गलौज और धमकी देना शुरू कर दिया। शोर सुनकर अन्य शिक्षक कार्यालय में आए और हस्तक्षेप करते हुए आरोपियों को बाहर ले गए। गवाह संख्या 1 ने आगे बताया कि दोनों आरोपियों ने अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसे गाली दी और जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग किया।

6. गवाह संख्या 2 महेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त दिन को वह अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और दोपहर लगभग 2:00 बजे उसने प्रधानाचार्य के कार्यालय से शोर सुना। उसने बताया कि दोनों आरोपी उसी कॉलेज में तैनात थे और वे कथित अपराध में शामिल नहीं थे। गवाह संख्या 3 हरेंद्र सिंह और गवाह संख्या 4 सूरज कुमार शर्मा, जो उसी संस्थान में शिक्षक थे, ने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया। गवाह संख्या 5 विवेक कुमार, कांस्टेबल क्लर्क, ने चिक एफआईआर (Ex. Ka-2) और संबंधित जीडी प्रविष्टि (Ex. Ka-3) को प्रमाणित किया। गवाह संख्या 6 सर्किल अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और अदालत के समक्ष आरोपपत्र (Ex. Ka-4) प्रस्तुत किया।

विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष

7. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता गवाह-1 ने मुख्य परीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन किया, लेकिन जिरह के दौरान अपने बयान से मुकर गया। शेष गवाह भी मुकर गए। विधि के स्थापित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि मुकर गए गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष के समर्थन वाले हिस्से पर भरोसा किया जा सकता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) 3 SCC 220 में रिपोर्टेड फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जिरह में अनुचित देरी के कारण गवाह प्रभाव या धमकी के चलते मुकर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनकी गवाही को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश प्रसाद एवं अन्य, **AIR 1996 SCC 2766** के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जब जांच के दौरान मुकदमे गवाहों ने अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि की हो और जांच अधिकारी ने इस तथ्य की गवाही दी हो, तो केवल मुकदमे के दौरान उनके मुकदमे के आधार पर उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।

9. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि गवाह-1 जिरह के दौरान मुकदमे गवाहों ने अपनी मुख्य गवाही में अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया था, और इसलिए, उसकी गवाही को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि एक ही संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी समय के साथ प्रभावित हो सकते हैं। जांच के दौरान गवाहों के बयानों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा की गई पुष्टि को एक सहायक परिस्थिति माना गया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी, एक राजपत्रित अधिकारी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनका आरोपी व्यक्तियों को झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं था। तदनुसार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आई.पी.सी. की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए अपने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। हालांकि, SC/ST Act की धारा 3(1)(da) के तहत आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि कथित घटना प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के बीच विवाद से उत्पन्न हुई थी और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपराध मुखबिर की जाति के कारण किया गया था। सजा के बदले परीक्षा का लाभ दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर नौ दिन की देरी से दर्ज की गई थी और अभियोजन पक्ष इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। आगे यह तर्क दिया गया कि घटनास्थल का साइट प्लान एस.आई. धर्मेन्द्र कुमार द्वारा 29.01.2020 को तैयार किया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान इसे साबित नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यह तर्क दिया गया कि गवाह संख्या 1 ने जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया और गवाह संख्या 2, 3 और 4 को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं की। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि स्वतंत्र पुष्टि के बिना पक्षद्रोही गवाहों पर भरोसा करना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। यद्यपि यह सत्य है कि पक्षद्रोही गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण आसपास की परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए। राम स्वरूप बनाम राजस्थान राज्य, **AIR 2004 SCC 2243** मामले का हवाला दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि संतोषजनक पुष्टि के बिना पक्षद्रोही गवाह की गवाही को स्वीकार करना अस्वीकार्य है। यह तर्क दिया गया कि बिना पुष्टि के केवल PW-1 की मुख्य गवाही पर भरोसा करना अनुचित और अवैध है, जिससे आक्षेपित निर्णय लागू नहीं होता है।

राज्य की ओर से तर्क

11. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. श्री के.के. गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि यह सर्वविदित है कि किसी पक्षद्रोही गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष गवाही के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन हिस्सों पर भरोसा करने का हकदार है जो उसके मामले का समर्थन करते हैं। यह तर्क दिया गया कि PW-1 का बयान 27.12.2019 की घटना को पर्याप्त रूप से स्थापित करता है और प्रधानाचार्य के पास अपने कर्मचारियों को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। PW-1 ने जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया और स्वतंत्र गवाहों ने भी जांच अधिकारी के समक्ष अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि की। जांच अधिकारी, PW-6 ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी गवाहों ने जांच के दौरान एफआईआर की पुष्टि की, जो स्वयं ही पुष्टिकारक साक्ष्य है। साइट प्लान के संबंध में यह तर्क दिया गया कि यद्यपि यह सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी घटना स्थल को लेकर कोई विवाद नहीं है। अतः विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों में कोई खामी नहीं है और दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

12. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और आशेषित निर्णय सहित संपूर्ण अभिलेख का अध्ययन किया है।

13. यह स्पष्ट है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी अभियोजन पक्ष के गवाह मुकुर गए। P.W.-1 ने मुख्य परीक्षा के दौरान तो अभियोजन पक्ष का समर्थन किया, लेकिन जिरह के दौरान मुकुर गया। केवल उसकी मुख्य परीक्षा पर भरोसा करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष का बयान सिद्ध हो गया है। यह सच है कि किसी मुकुर गये गवाह के बयान के आधार पर दोषी ठहराने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन इसे आँख बंद करके स्वीकार नहीं किया जा सकता। नीरज दत्ता बनाम राज्य (Govt. of N.C.T. of Delhi), AIR Online 2022 SC 1160 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, उसका पूरा बयान बेकार नहीं हो जाता। यदि उसके साक्ष्य का कुछ हिस्सा अन्य तथ्यों या रिकॉर्ड पर मौजूद विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, तो न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है। इसलिए, किसी मुकुर गये गवाह के बयान के आधार पर दोषी ठहराने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, बशर्ते कि यह अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो। इसी प्रकार राम स्वरूप (supra) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि विश्वसनीय पुष्टि के अभाव में किसी पक्षद्रोही गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। अतः, P.W.-1 की अपुष्ट गवाही पर भरोसा करने का ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण अनुचित है।

14. इसी प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी के इस कथन पर भरोसा करने में स्पष्ट त्रुटि की कि गवाहों ने जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत किसी गवाह द्वारा दिए गए बयान के संबंध में जांच अधिकारी का बयान ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता। जब तक Evidence Act की धारा 145 के अनुसार गवाह को उसके पूर्व बयान से सामना नहीं कराया जाता, तब तक ऐसे बयानों का उपयोग न तो पुष्टि के लिए और न ही खंडन के लिए किया जा सकता है। केवल जांच अधिकारी का बयान इस दोष को दूर नहीं करता। वी.के. मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य (2015) 9 S.C.C. 588 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दिए गए पूर्व बयानों का उपयोग गवाह के विधिवत आमने-सामने पूछताछ के बाद ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह भी दोहराया गया है कि जांच अधिकारी की गवाही आमने-सामने पूछताछ का विकल्प नहीं हो सकती।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. वर्तमान मामले में, P.W.-1 को सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके कथित बयान से कभी सामना नहीं कराया गया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे टिप्पणी की है कि जांच अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि तथ्य के गवाहों ने जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। ऐसा दृष्टिकोण साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। जांच अधिकारी की गवाही ठोस साक्ष्य नहीं है; यह केवल पुष्टिकरण प्रकृति की है। वर्तमान मामले में, चश्मदीदों और पीड़ित की गवाही ठोस साक्ष्य है। कानून यह अनिवार्य करता है कि ठोस साक्ष्य का समर्थन करने के लिए पुष्टिकरण आवश्यक है, न कि ठोस साक्ष्य को पुष्टिकरण साक्ष्य से समर्थन मांगकर सिद्ध किया जाए। गवाहों की मौखिक गवाही की पुष्टि या खंडन जांच अधिकारी की गवाही द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जांच अधिकारी की गवाही को मौखिक साक्ष्य की सत्यता स्थापित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

16. रेणुका प्रसाद बनाम राज्य (2025 INSC 657) के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जहां इसी तरह के मुद्दे का सामना किया गया था, अर्थात्... गवाह मुकर गए, लेकिन जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष बयान दिया कि जांच के दौरान गवाहों ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया कि केवल संदेह या जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। उस मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को बरी कर दिया था क्योंकि अधिकांश अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए थे और कथित चश्मदीद गवाह आरोपी की पहचान करने में विफल रहा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और मुख्य रूप से जांच अधिकारी की गवाही पर भरोसा करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया, जिसने कहा था कि गवाहों ने सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और बरी करने के फैसले को बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत बयान ठोस सबूत नहीं हैं और जब तक गवाह अदालत में उनकी पुष्टि नहीं करता, तब तक उन्हें दोषसिद्धि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

17. इसलिए, जांच अधिकारी की गवाही से प्राप्त पुष्टि कानून में मान्य नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसे अस्वीकार्य सबूतों पर भरोसा करने से फैसला कानूनी रूप से अस्थिर हो जाता है। उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा केवल एक पक्षद्रोही गवाह की आंशिक गवाही के आधार पर, वैध पुष्टि के बिना और गवाह के पिछले बयान का सामना कराए बिना, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष द्वेषपूर्ण, कानून के विपरीत और कानून की दृष्टि में अस्थिर हैं, और इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

18. तदनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), अमरोहा द्वारा दिनांक 01.10.2025 को S.S.T. संख्या 462/2020 (राज्य बनाम विशाल त्यागी और अन्य) में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, जो केस अपराध संख्या 08/2020 से संबंधित है और भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 भाग-I तथा SC/ST Act की धारा 3(1)(da) के अंतर्गत है, को निरस्त किया जाता है और यह आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27 जनवरी, 2026

एस.के.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"